

## झारखण्ड सरकार

## स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

प्रेषक:

सीमा कुमारी उदयपुरी,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

परीक्षा नियंत्रक,  
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद,  
सिरखा टोली, तुपुदाना रोड, नामकुम, राँची।

राँची, दिनांक- 25/10/21

विषय: शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में परिचारिका पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु संस्थावार/शाखावार/कोटिवार सीटों की विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग: जे०सी०ई०सी०ई०बी०, झारखण्ड का पत्रांक- 369 एवं 370 दिनांक- 01.09.2021.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के क्रम में निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं एवं प्राचार्या, परिचारिका महाविद्यालय, रिक्स, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अलोक में राज्यान्तर्गत नर्सिंग संस्थानों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में नामांकन के लिए संस्थानवार/कोटिवार/कोदवार सीटों की अद्यतन विवरणी निम्न प्रकार है :-

A.N.M.

संस्थान का नाम	कुल सीटों की संख्या	राज्य के अन्तर्गत कोटिवार सीटों की संख्या					
		SC 10%	ST 26%	BC-I 8%	BC-II 6%	EWS 10%	UR
पलामू	30	03	08	02	02	03	12
राँची	30	03	08	02	02	03	12
गिरिडीह	30	03	08	02	02	03	12
पश्चिमी सिंहभूम	30	03	08	02	02	03	12
धनबाद	30	03	08	02	02	03	12
देवघर	30	03	08	02	02	03	12
दुमका	30	03	08	02	02	03	12
हजारीबाग	30	03	08	02	02	03	12
सिमडेगा	30	03	08	02	02	03	12
पूर्वी सिंहभूम	30	03	08	02	02	03	12
कुल	300	30	80	20	20	30	120

दिव्यांग श्रेणी का आरक्षण 05 प्रतिशत- कुल-15 सीट।

	निःशक्तता का प्रवर्ग	आरक्षण प्रतिशत
क	अंधापन और कम दृष्टि	03
ख	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	03
ग	चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांशपेशीय दुर्विकास (Muscular Dystrophy)	03
घ	स्वलीनता (Autism) बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी	03
इ	बहु निःशक्तता (Muscular Disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।	03
	कुल	15

आदिम जन जाति-अनुसूचित जन जाति का 02 प्रतिशत- कुल- 02 सीट।

G.N.M.

संस्थान का नाम	कुल सीटों की संख्या	राज्य के अन्तर्गत कोटिवार सीटों की संख्या					
		SC 10%	ST 26%	BC-I 8%	BC-II 6%	EWS 10%	UR
नर्सिंग विद्यालय, रिम्स, राँची	50	05	13	04	03	05	20
एस0एन0एम0एम0सी0एच0, धनबाद	40	04	11	03	02	04	16
एम0जी0एम0सी0एच0, जमशेदपुर	30	03	08	02	02	03	12
<b>कुल</b>	<b>120</b>	<b>12</b>	<b>32</b>	<b>09</b>	<b>07</b>	<b>12</b>	<b>48</b>

दिव्यांग श्रेणी का आरक्षण 05 प्रतिशत- कुल-06 सीट।

	निःशक्तता का प्रवर्ग	आरक्षण प्रतिशत
क	अंधापन और कम दृष्टि	02
ख	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	01
ग	चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांशपेशीय दूर्विकास (Muscular Dystrophy)	01
घ	स्वलीनता (Autism) बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी	01
इ	बहु निःशक्तता (Muscular Disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।	01
	<b>कुल</b>	<b>06</b>

आदिम जन जाति-अनुसूचित जन जाति का 02 प्रतिशत- कुल- 00 सीट।

B.Sc. Nursing (Basic)

संस्थान का नाम	कुल सीटों की संख्या	राज्य के अन्तर्गत कोटिवार सीटों की संख्या					
		SC 10%	ST 26%	BC-I 8%	BC-II 6%	EWS 10%	UR
नर्सिंग महाविद्यालय, रिम्स, राँची	50	05	13	04	03	05	20

दिव्यांग श्रेणी का आरक्षण 05 प्रतिशत- कुल-02 सीट।

	निःशक्तता का प्रवर्ग	आरक्षण प्रतिशत
क	अंधापन और कम दृष्टि	01
ख	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	01
ग	चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांशपेशीय दूर्विकास (Muscular Dystrophy)	00
घ	स्वलीनता (Autism) बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी	00
इ	बहु निःशक्तता (Muscular Disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।	00
	<b>कुल</b>	<b>02</b>

आदिम जन जाति-अनुसूचित जन जाति का 02 प्रतिशत- कुल- 00 सीट।

✍

**B.Sc. Nursing (Post Basic)**

संस्थान का नाम	कुल सीटों की संख्या	राज्य के अन्तर्गत कोटिवार सीटों की संख्या					
		SC 10%	ST 26%	BC-I 8%	BC-II 6%	EWS 10%	UR
नर्सिंग महाविद्यालय, रिम्स, राँची	30	03	08	02	02	03	12

दिव्यांग श्रेणी का आरक्षण 05 प्रतिशत- कुल-01 सीट।


	निःशक्तता का प्रवर्ग	आरक्षण प्रतिशत
क	अंधापन और कम दृष्टि	01
ख	बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता	00
ग	चलन निःशक्तता जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पॉल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, आमलीय आक्रांत से पीड़ित, मांशपेशीय दूर्विकास (Muscular Dystrophy)	00
घ	स्वलीनता (Autism) बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी	00
ङ	बहु निःशक्तता (Muscular Disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।	00
	कुल	01

आदिम जन जाति-अनुसूचित जन जाति का 02 प्रतिशत- कुल- 00 सीट।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं०-1433 दिनांक-15.02.19 द्वारा राज्य स्तरीय विनिर्दिष्ट शिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु आरक्षण का प्रावधान के आलोक में नियमसंगत कार्रवाई की जाय।

अनुरोध है कि उपर्युक्त सीटों/प्रावधानों के आलोक में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर नामांकन की प्रक्रिया सुनिश्चित करने की कृपया कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

  
25/10/24  
(सीमा कुमारी उदयपुरी)  
सरकार के उप सचिव